



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur
(कैडर कन्ट्रोल यूनिट)

स्थापना आदेश संख्या : सी.सी.यू.- CCU - 54/2025

एसएससी सीजीएलई-2024 के माध्यम से सीजीएसटी, वडोदरा जोन में निरीक्षक के पद पर चयन के परिणामस्वरूप, श्री गौरव वैष्णव, निरीक्षक (समूह 'बी' - अराजपत्रित), सीजीएसटी आयुक्तालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 11.07.2025 को दिया गया तकनीकी त्यागपत्र को दिनांक 18.07.2025 से स्वीकार किया जाता है।

Consequent upon selection to the post of Inspector in CGST, Vadodara Zone through SSC CGLE, 2024, the **Technical Resignation** dated 11.07.2025 tendered by Shri Gourav Vaishnav, Inspector (Group 'B' -Non Gazetted), CGST Commissionerate, Jodhpur is hereby accepted **w.e.f. 18.07.2025**.

चूंकि अधिकारी इस विभाग में स्थायी कर्मचारी है, इसलिए वह अपने वर्तमान पद (अर्थात निरीक्षक) पर दो वर्ष की अवधि तक इस विभाग में अपना ग्रहणाधिकार बनाए रखेगा।

As the officer is a permanent employee in this department; therefore, he will retain his lien in this department on his present post (i.e. Inspector) for a period of two years.

यह आदेश नियुक्ति प्राधिकारी की संस्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

This order issues with the approval of the Appointing Authority.

(राजेंद्र कुमार महावर)
सहायक आयुक्त

फा.स. GCCO/II/33/19/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है-

1. निजी प्रति- श्री गौरव वैष्णव, निरीक्षक, सी.जी.एस.टी. एवं के. उ. शु. आयुक्तालय, जोधपुर।
2. अपर आयुक्त (का. एवं सत.), सी.जी.एस.टी. एवं के. उ. शु. आयुक्तालय, जोधपुर को उनके कार्यालय के पत्र सं. F. No. II(03)TFR/91/2025-ADMN/4902 दिनांक 16.07.2025 के संदर्भ में प्रेषित कर लेख है कि श्री गौरव वैष्णव, निरीक्षक को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उनके विरुद्ध कोई सरकारी / विभागीय देयता एवं सतर्कता / असतर्कता सम्बन्धी प्रकरण इत्यादि लम्बित नहीं है। तत्पश्चात श्री गौरव वैष्णव, निरीक्षक को कार्यभार मुक्त कर इस कार्यालय को कार्यभारमुक्ति आदेश की प्रति प्रेषित करें।
3. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर/अलवर/उदयपुर/जोधपुर/अंकेक्षण जयपुर /अंकेक्षण जोधपुर/ अपीलस, जयपुर/अपीलस, जोधपुर/सीमा शुल्क आयुक्तालय, मुख्या.-जयपुर।
4. वेतन एवं लेखाधिकारी, अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
5. अधीक्षक (प्रशा./सत.), मुख्य आयुक्त कार्यालय, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोन, जयपुर।
6. वेबमास्टर, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाईल/ निजी पत्रावली/ सेवा पुस्तिका/ संबंधित एसोसियेशन/ सूचना पट्ट।